विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का उपयोग

1641. **राज मोहिन्दर सिंह:** क्या विद्युत मंत्री 24.2.99 को राज्य सभा में अतरांकित प्रश्न 254 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थापित क्षमता का 90% से 100% तक उपयोग करने वाली 60% से 90% तक उपयोग करने वाली 40% से 60% तक तथा 40% से नीचे क्षमता का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की संख्या अलग-अलग कितनी कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक वर्ग द्वारा वर्ष भर में कितनी कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : समुपयोजन प्रतिशतता और औसत वार्षिक उत्पादन सहित ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	समुपयोजन			
		90 से 100%	60 से 90%	40 से 60%	40% से नीचे
1.	ताप विद्युत				
	(क) कोयला				
	आधारित संख्या	3	39	18	20
	औसत वार्षिक उत्पादन 1997-98 (मि. यू.)	8051	5199	2022	360
	(ख) गैस/डीजल				
	केन्द्र संख्या	14	10	1	
	औसत वार्षिक उत्पादन 1997-98 (मि.यू)	1797	1047	179	34
2.	जल विद्युत				
	संख्या	82	38	10	3
	औसत वार्षिक उत्पादन 1997-98 (मि.यू)	639	474	111	4
3.	न्यूक्लीय विद्युत				
	संख्या	–	5	–	–
	औसत वार्षिक उत्पादन	–	2028	–	–

कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों की समुपयोजन प्रतिशतता इन यूनिटों के संयंत्र भार अनुपात के तौर पर ली गई है। तथापि, गैस और जल आधारित केन्द्रों की समुपयोजना लक्ष्यों की तुलना में उनके वास्तविक उत्पादनों के तौर पर है।

सीपट में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की एक परियोजना की स्थापना

1642. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय मध्य प्रदेश के विलासपुर जिले के सीपट क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की एक परियोजना की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी; और

(ग) क्या सरकार ने संयंत्र की स्थापना से पहले मनुष्यों, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों पर राख के संभावित नुकसान का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो इससे सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी प्रभाव अध्ययन के आधार पर परियोजना को फरवरी, 1999 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए एनटीपीसी के प्रक्रियाधीन है। 2000 मे.वा. परियोजना की प्रथम यूनिट (500 मे.वा.) के निवेश अनुमोदन की तारीख से 56 महीनों में और तत्पश्चात् प्रत्येक परवर्ती यूनिटों को 9 महीनों के अंतराल पर चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें रखी हैं :-

(i) राख कुंड की अभिकल्पना उड़ीसा स्थित तालचेर ताप विद्युत परियोजना के अनुरूप होनी चाहिए। अप्रचालनीय समुद्रतल (लैगून) में पृथ्वी की सतह/तलीय राख को राख छोड़े जाने वाले क्षेत्र में फैला देना चाहिए ताकि इस प्रयोजनार्थ कोयला प्रहस्तन और संयंत्र के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जल का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उड़ती हुई धूल को नियंत्रित किया जा सके।

(ii) कम से कम 99.8: की दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसीपिटेटर स्थापित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विविक्त निस्सरण (पार्टिक्यूलेट एमिशन) निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो।